न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी (नागौर)
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर. ए. एस.
मुकदमा संख्या 17 / 2024

प्रार्थी
1. मंगलाराम पुत्र श्री नेनुराम
जाति जाट, निवासी लाम्पोलाई, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर (राज)

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. केदारमल पुत्र बिरदीचंद जाति ब्राहमण,
निवासी लाम्पोलाई, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर (राज)
2. तहसीलदार, रियांबड़ी,
3. पटवारी हल्का, लाम्पोलाई,
4. पटवार हल्का गवारडी ।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 27/8/24

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्नलिखित पेश है :–

1. यह है कि वाके मौजा जैसास की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 34 रकया 0.6900 हैक्टर प्रार्थी की खातेदारी अधिकार का काश्त व कब्जासुद आया हुआ है तथा वाके मौजा लाम्पोलाई की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 573 रकबा 3.1400 हैक्टेयर अप्रार्थी सं. 4 की खातेदारी अधिकार का काश्त व कब्जासुद आया हुआ है। प्रार्थी का खेत खसरा नं 34 ग्राम जैसास व लाम्पोलाई की राजस्व सीमा पर स्थित है तथा .अप्रार्थी सं. 1 का खेत खसरा नं. 573 की भूमि प्रार्थी के खेत खसरा नं, 34 के चिपते ही आई हुई है।
2. यह है कि प्रार्थी का खेत व अप्रार्थी का खेत एक दूसरे से चिपते आये हुए है और प्रार्थी व अप्रार्थी का खेत अलग अलग गांवों में है, मगर उक्त खसरान ग्राम जैसास व लाम्पोलाई की राजस्व सीमा पर स्थित होने से एक दूसरे के चिपते आये हुए है। जिससे प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 1 के खेत खसरा नं. 573 वाके मौजा लाम्पोलाई से होकर अपने खेत खसरा नं. 34 में आने जाने हेतु रास्ते की मांग करते हुए यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है।
3. यह है कि प्रार्थी अपने खेत खसरा नं. 34 रकबा 0.6900 हैक्टेयर में आने जाने के लिए ग्राम जैसास से लाम्पोलाई जाने वाले रास्ता खसरा नं. 583 से होकर अप्रार्थी के खेत खशरा नं. 573 रकबा 3. 14400 की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे होकर अपने खेत खसरा नं. 34 रकबा 0.6900 हैक्टयर में आने जाने के लिए 20 फुट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इसके अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई अल्ट्रनेट रास्ता मौजूद नहीं है एवं अपने खेत खसरा नं. 34 रकबा 0.6900 हैक्टेयर पर आने जाने में भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा हैं। जिससे प्रार्थी ग्राम जैसास से लाम्पोलाई जाने वाले रास्ता खसरा नं. 583 से होकर अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 573 रकबा 3. 1400 की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे होकर अपने खेत खरारा नं. 34 रकबा 0.6900 हैक्टयर में आने जाने के लिए रास्ता की मांग हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करता हैं। नकल खतौनी साथ में पेश है।
4. यह है कि उक्त खसरा में जाने के लिए इसके अलावा अन्य कोई अल्ट्रनेट रास्ता मौजूद नहीं हैं, एक मात्र रारता प्रार्थी के खेत में आने जाने का हैं।
5. यह है कि प्रार्थी को अपना काश्त कार्य करने एवं आवागमन हेतु ट्रेक्टर, हल, गाड़ी, छकड़ा, जानवर आदि आने जाने के लिए अप्रार्थीगण मना करते हैं तथा प्रार्थी से लड़ाई झगड़ा करने पर

उपखण्ड अधिकारी रियांबडी
जिला–नागौर

आमादा रहते हैं, जिससे प्रार्थी को अपना काश्त कार्य कठिन हो गया हैं, जिससे उक्त रास्ता के हेतु प्रार्थना पत्र पेश हैं।

6. यह है कि प्रार्थी, ग्राम जैसास रो लाम्पोलाई जाने वाले रास्ता खसरा नं. 583 से होकर अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 573 रकबा 3.14400 की पश्चिमी माठ –के सहारे सहारे होकर अपने खेत खसरा नं. 34 रकबा 0.6900 हैक्टयर में जाने के लिए 20 फुट चौड़ा रास्ता की भूमि का राज्य दर के अनुसार कीमत प्रार्थी अदा करने के लिए तैयार हैं।

7. यह है कि विवादित खसरान की की भूमि ग्राम जैसास व लाम्पोलाई की सरहद में होने से प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

8. यह है कि प्रार्थना पत्र पर कोर्ट फीस राशि रूपये 1 – की पेश हैं।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का ग्राम जैसास से लाम्पोलाई जाने वाले रास्ता खसरा नं. 583 से होकर अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 573 रकवा 3.1400 की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे होकर अपने खेत खसरा नं. 34 रकबा 0.6900 हैक्टयर में आने जाने के लिए 20 फुट चौड़ा रास्ता दिया जावें एवं जिसकी राजकीय नियमानुसार रकम अदा करने के लिए प्रार्थी तैयार हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर पत्रावली में अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया व तहसीलदार रियांबडी को रास्ते के संबंध में रिपोर्ट मंगवाने की तहरीर जारी की गई। अप्रार्थी की ओर से वकील रामकिशोर तिवाडी ने वकालतनामा पेश किया। व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें कथन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा नं 34, 33 व 30 एक ही चक में आये हुए है। उक्त खेतो में आने जाने के लिये वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जो मौका रिपोर्ट में नही दर्शाया है एवं मौका रिपोर्ट प्रार्थी के कहे अनुसार बनाया एवं प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिये सबसे नजदीक व सुगम रास्ता खसरा नंबर 465/37 व खसरा नं 39 से होकर जो रास्ता ग्राम जैसास रोहिट से लाम्पोलाई के मध्य स्थित है जिस रास्ते के खसरा नं. 583 है। अप्रार्थी संख्या 01 के खेत खसरा नं. 573 रकबा 3.1400 हैक्टेयर ग्राम लाम्पोलाई की सरहद में आया हुआ है। उक्त खेत से प्रार्थी को रास्ता कानूनन रूप से नहीं मिलता है। इसलिए राजस्व कर्मचारियों की निष्पक्ष टीम गठित कर न्यायहित में पुनः रिपोर्ट मंगवाई जावे। एवं वैकल्पिक रास्ता खसरा नंबर 465/37 रकबा 1.37 हैक्टर कैलाश पुत्र चान्दुराम के नाम आया हुआ है व खसरा नं 39 रकबा 3.51 हैक्टर सुराराम पुत्र मंगलाराम के नाम आया हुआ है जिसमें से प्रार्थी आता जाता है इसलिये प्रार्थी के खेत में कोई रास्ता मौजूद नही है एवं सबसे सुगम व नजदीक रास्ता खसरा नं 583 से होकर खेत खसरा नं 465/37 व खसरा नंबर 39 में से होकर अपने खेत खसरा नं 34, 33 व 30 में आता जाता रहा है। वही एकमात्र रास्ता है। प्रार्थी गांव जैसास रोहिट जायेगा तो उसे पहले ग्राम लांपोलाई जाकर वापस अपने खेत ग्राम जैसास रोहिट जायेगा तो ज्यादा दूरी होगी जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण का अवलोकन किया कि खसरा नंबर 34 रकबा 0.69 हैक्टर में जाने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। वर्तमान में ग्राम लांपोलाई से अपने खेत खसरा नंबर 34 रकबा 0.69 हैक्टर में रास्ता खसरा नं 583 से होकर अप्रार्थी के खसरा नं 573 रकबा 3.14 की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे जाने हेतु सबसे निकटतम दूरी है। इस बात की पुष्टि तहसीलदार रियांबडी की जांच रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि उन्होने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी, अप्रार्थी व मौका मौतविर की मौजूदगी मे रिपोर्ट बनाई है जिसमें उन्होने मौका रिपोर्ट के पृष्ट नंबर 3 में स्पष्ट लिखा कि उपरोक्त खसरा न के अतिरिक्त कोई रास्ता उपलब्ध नही है। तहसीलदार रियांबडी के जांच रिपोर्ट मे खसरा नंबर 573 रकबा 3.14 हैक्टर की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे 20 फीट चौडा रास्ता जो 200 X 6 = 0.12 हैक्टर जो अप्रार्थी संख्या 1 केदारमल पुत्र बिरदीचंद की खातेदारी का है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रियांबडी की जांच रिपोर्ट व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकुलाय की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार रियांबडी की जांच रिपोर्ट व संपूर्ण विवेचन के आधार पर रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

## आदेश

अतः प्रार्थी को मौजा जैसास की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 34 रकबा 0.69 हैक्र मे आने जाने व ट्रेक्टर, छकडा आदि लाने ले जाने के लिये मौजा लांपोलाई के खेत खसरा नंबर 573 रकबा 3.14 हैक्टर की पश्चिमी माठ के सहारे तहसीलदार रियांबडी की मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिया जाता है। तहसीलदार रियांबडी की मौका रिपोर्ट आदेश का भाग समझा जावे। प्रभावित खसरान व रकबा

उपखण्ड अधिकारी रियांबडी
जिला–नागौर

नि...नुसार है जो वाके मौजा लांपोलाई खसरा नंबर 573 रकबा 3.14 हैक्टर मे से 200 X 6 = 0.12 हैक्टर है जो प्रार्थी तहसीलदार रियांबडी कार्यालय में उक्त कृषि भूमि के प्रभावित रकबे की डीएलसी दर की दुगुनी दर की राशि जमा करवावे। तहसीलदार रियांबडी उक्त राशि अप्रार्थी संख्या 1 को अदा करावे। प्रार्थी द्वारा राशि जमा करवाये जाने पर तहसीलदार रियांबडी उक्त रास्ते को राज्य सरकार के हक में दर्ज करते हुए किश्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर राजस्व रेकर्ड व नक्शे में अमल दरामद कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त फरमावे।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रियाबडी

उपखण्ड अधिकारी रियांबडी
जिला नागौर